<u>न्यायालयः प्रदीप कुमार वरकडे, अपर सत्र न्यायाधीश चौरई, जिला छिंदवाड़ा, म.प्र.</u>

रजिस्ट्रेशन नं.–बी.ए./298/2026

रत्नेश पिता केशराम, उम्र 33 वर्ष,
निवासी–ग्राम बींझावाडा, तहसील चौरई,
जिला छिंदवाडा, म.प्र.।

———आवेदक/अभियुक्त

<u>विरूद्ध</u>

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी,
चौरई, जिला छिंदवाड़ा, म.प्र.।

————अनावेदक/अभियोजन

.....

13.08.2026

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता **श्री नीलेश तिवारी** उपस्थित।
अनावेदक/राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सुदर्शन सोनी उपस्थित।

प्रकरण **जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** पर सुनवाई हेतु नियत है।

विचारण न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त।

वन परिक्षेत्र चौरई से प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** संक्षेप में इस प्रकार है कि वन विभाग के द्वारा उपरोक्त धाराओं में गिरफतार कर अभियुक्त को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल छिंदवाडा भेजा गया और उसका जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चौरई के समक्ष चालान पेश किया जा चुका है और प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। आवेदन के समर्थन में आवेदक/ अभियुक्त के द्वारा बीरन पिता केशराम यादव, उम्र 44 वर्ष, निवासी–बींझावाडा, तहसील चौरई, जिला छिंदवाडा, म.प्र. का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसका यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र है। अभियुक्त/आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावा इस आशय का अन्य कोई भी आवेदन पत्र

किसी भी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0 में लंबित नहीं है और न ही निराकृत किया गया है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त को जमानत दिये जाने में घोर आपत्ति प्रकट की गयी है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी चौरई के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि आरोपीगण के द्वारा **अनुसूची–।** के विलुप्त प्रजाति के वन्य प्राणी काले हिरण का शिकार किया गया है, जिससे वन एवं पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति हुयी है एवं जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। अतः आरोपी को जमानत न दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से श्री सुदर्शन सोनी ए.जी.पी. ने जमानत आवेदन पत्र का घोर विरोध किया गया है।

उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

विचारण न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से प्रकट है कि आरोपीगण पर **वन परिक्षेत्र चौरई** के **वन अपराध/पी.ओ. आर. क्र. 36424/05, दिनांक 02.05.2026 वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 51, 52** पंजीबद्ध किया गया है। वन परिक्षेत्र चौरई के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि आरोपी के द्वारा **अनुसूची–।** के विलुप्त प्रजाति के वन्य प्राणी काले हिरण का शिकार किया गया है, जिससे वन एवं पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति हुयी है एवं जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। आरोपी का प्रथम जमानत आवेदन पत्र बी.ए. क्र. 127/2026 दिनांक 11.05.2026 को गुण–दोषों पर निरस्त किया है। आरोपी का यह **द्वितीय जमानत** आवेदन पत्र है। प्रकरण में मात्र अभियोग पत्र प्रस्तुत हो जाने से प्रकरण में कोई नवीन परिस्थितियॉ उत्पन्न हुई हों, ऐसा अभियुक्त की ओर से प्रकट नहीं किया गया है। आरोपी के उक्त कृत्य से वन एवं पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति हुई है एवं जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। अतः उपरोक्त तथ्य–परिस्थितियों एवं अभियुक्त की आयु व अभियुक्त के कृत्य एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये **अभियुक्त/आवेदक रत्नेश यादव** की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दिनांक 12.08.2026 निरस्त** किया जाता है।

आदेश की एक निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान की जावे।

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस प्रदान किया जावे।

परिणाम दर्ज कर जमानत प्रपत्र अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

PRADEEP KUMAR WARKADE

Digitally signed by PRADEEP KUMAR WARKADE
Date: 2025.08.13 18:36:24 +0530

(प्रदीप कुमार वरकडे)
अपर सत्र न्यायाधीश चौरई
जिला छिंदवाड़ा